रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 14, 2006/श्रावण 23, 1928

No. 371] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 14, 2006/SRAVANA 23, 1928

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 480(अ).— केन्द्रीय सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 89 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है ;

(ख) "आयोग" से अधिनियम की धारा 83 के अधीन गठित मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) उन शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके क्रमशः है ।

3. **पद और गोपनीयता की शपथ** - आयोग का सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व विद्युत मंत्रालय (संघ सरकार) के भारसाधक मंत्री के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ प्रतिज्ञापित करेगा और पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित प्रारूप में दिलाई जाएगी,-

गोपनीयता की शपथ

मैं ..... ईश्वर की शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब

2500 GI/2006

के सिवाय जब कि ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा ।

संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ और प्रतिज्ञान

मैं ..... जो मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का सदस्य नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्त्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और देश की विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा ।

4. वेतन - सदस्य प्रतिमास 22,400-525-24500रू. का वेतन प्राप्त करेगा :

परंतु यदि सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति,-

(क) संघ सरकार से, जिसके अंतर्गत रेल, रक्षा, डाक और संसूचना भी है ; या

(ख) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से ; या

(ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम, स्थानीय निकाय, स्वशासी निकाय जैसे विश्वविद्यालय या अर्धसरकारी संगठन जैसे पत्तन न्यास से ;

पेंशन प्राप्त करता है, तो ऐसे व्यक्ति के वेतन में से उसके द्वारा आहरित पेंशन की कुल रकम को घटा दिया जाएगा [जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पूनःनियोजित पेंशनभोगियों के वेतन का नियतन) आदेश, 1986 में उदाहरण दिया गया है] :

परंतु यह और भी कि सदस्य वेतन के ऐसे नियतन के पूर्व अपने मूल वेतन पर अनुज्ञेय भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा ।

5. महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता - सदस्य केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारी जो इनके समतुल्य वेतन प्राप्त कर रहा है, को अनुज्ञेय दर पर महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकारात्मक भत्ता और अन्य भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा ।

6. छुट्टी - सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की उपार्जित छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी के दौरान छुट्टी के वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 के उपबंधों के अधीन शासित होगा ।

7. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी - अध्यक्ष की दशा में उस राज्य का भारसाधक मंत्री जिसका वह आयोग में प्रतिनिधित्व करता है और सदस्य की दशा में अध्यक्ष छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी होगा ।

8. भविष्य निधि - सदस्य अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और साधारण भविष्य निधि नियम (केन्द्रीय सेवा) 1960 के उपबंधों के अधीन अंशदान करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा । आयोग में की गई सेवा के लिए कोई पेंशन या उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा ।